न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज०)
पीठासीन अधिकारी का नाम — श्री रवि वर्मा , आर०ए०एस०

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
07 / 21	एफएसएस एक्ट, 2006	10 / 03 / 2021

1. प्रेमचन्द्र जैन ,खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सवाई माधोपुर

—आवेदक

बनाम

1. राकेश कुमार मित्तल पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मित्तल ,उम्र लगभग 43 वर्ष जाति महाजन (एफबीओ व मालिक) फर्म— राकेश मावा भण्डार ,आर्य बाल स्कूल के पास, गंगापुर सिटी निवासी सत्यनारायण जी मन्दिर के पास, कल्याण जी गेट, गंगापुर सिटी तहसील गंगापुर सिटी।

—अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011

निर्णय

दिनांक 04 / 07 / 2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री प्रेमचन्द्र जैन , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 12.11.2020 को थानाधिकारी पुलिस थाना कोतवाली गंगापुर सिटी द्वारा दूरभाष पर दी गयी सूचना के आधार पर लगभग 02:00 पी.एम. पर पुलिसथाना कोतवाली गंगापुर सिटी पहुँचा जहाँ थानाधिकारी ने आवेदक को एक तहरीर देकर बताया कि राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के दौरान आज दिनांक 12.11.2020 को सूचना मिलने पर कल्याण जी गेट के पास एक महिन्द्रा एक्सयूवी नम्बर यूपी 80 सीडी 1990 गाडी में समय करीब 08:00 ए. एम. पर करीब 2—3 क्विंटल मावा पकडा जो संदिग्ध हो सकता है व गाडी के चालक गजेन्द्रसिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी अशोक विहार कॉलोनी गुरूद्वारा ,धौलपुर व मावा मंगवाने वाले मावा डीलर राकेश पुत्र जगदीश उम्र लगभग 43 वर्ष जाति महाजन निवासी कल्याण जी गेट, गंगापुर सिटी व दिनेश पुत्र गोविन्द प्रसाद जाति महाजन निवासी हाडोत्या कॉलोनी गंगापुर सिटी तीनों व्यक्तियों को मावा व गाडी सहित थाने पर डिटेन किया हुआ है, अतः मावे की जांच हेतु सैम्पल लिया जावे। अभियुक्त राकेश कुमार से पूछने पर उसने एक पत्र आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नाम लिखकर दिया एवं बताया कि मैने पुलिस अधिकारियों द्वारा पकड़ी गयी इस गाडी में तीन टोकरी मावा धौलपुर से निखिल मावा भण्डार से मेरी दुकान राकेश मावा भण्डार ,आर्य बाल विद्यालय के पास गंगापुर सिटी पर मिठाई बनाकर आम जनता को बेचने के लिए मंगवाया है। मेरे पास इस मावे का कोई खरीद बिल नहीं है। एफबीओ राकेश कुमार की टोकरीयों के खोया मावा का निरीक्षण करने पर उसमें मिलावट का शक होने पर मौके पर मौजूद विक्रेता व दुकान मालिक मनोज कुमार सिंघल से उक्त खाद्य पदार्थ खोया (मावा) में शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने को कहा तथा विक्रेता को नमूना लेने की सूचना जरिये प्रपत्र 5 ए तैयार कर उपस्थित गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक स्वयं ने हस्ताक्षर किये ।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ पदार्थ खोया (मावा) शुद्धता की जांच हेतु नमूना लेने बाबत् खरीदा जिसकी किमत विक्रेता के बताये अनुसार बाजार भाव से 170/—रू० नकदी चुकाकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा नमूने की पूर्ण कार्यवाही कर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी। जिससे नमूना सील किया एक नमूना भाग मय फार्म सं० 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर एवं दो प्रति फार्म नं० 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में गजानन्द लोमा वार्ड बॉय द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थय अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा दिनांक 13.11.2020 को मुख्य खाद्य विशलेषक जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा सील बंद नमूना [illegible] [illegible] भाग मय फार्म सं० 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर [illegible] नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं० 6 की प्रति डी०ओ० कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
[illegible]

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2020/2017 दिनांक 03.12.2020 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2099/एक्ट/2020/1996 दिनांक 26.11.2020 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ खोया (मावा) सबस्टेण्डर्ड पाया गया। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)का उल्लघंन है। जिसका जुर्माना धारा 51 में वर्णित है।

उक्त प्रकरण में मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2099/एक्ट/2020/ 1996 दिनांक 26.11.2020 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 51 में सजा व जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए तांकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्तगण मय अधिवक्ता उपस्थित होने पर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अभियुक्तगण ने दौराने बहस निवेदन किया कि आवेदक द्वारा उक्त कार्यवाही अभियुक्त के समक्ष नहीं की गई है। आवेदक द्वारा अभियुक्त को डरा धमकाकर खाली कागजों में हस्ताक्षर करवा लिये गये थे। जिसका गलत उपयोग आवेदक द्वारा किया गया है। आवदेक द्वारा उक्त नमूने हेतु क्रय किये गये खाद्य पदार्थ का भी कोई भुगतान अभियुक्त को नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में तीन व्यक्तियों का मावा पकडा जाना बताया है, लेकिन आवेदक द्वारा दो व्यक्तियों के नाम ही अंकित किये गये है। तिसरे व्यक्ति का कोई नाम अंकित नहीं किया गया है। आवेदक द्वारा उक्त गाड़ी मे से 2–3 विक्टल मावा पकडा जाना बताया है। लेकिन उक्त 2–3 विक्टल मावा किस–किस फर्म का है कोई अंकन नहीं किया हुआ है। श्रीमान् जी आवेदक ने अपने आवेदन में एक डलिया अभियुक्त की होना बताया है। जबकि एक डलिया अभियुक्त द्वारा धौलपुर से मंगवाया जाना संभव ही नहीं है। क्योकि उक्त एक डलिया को खर्चा ही इतना आ जायेगा जिससे वह यहॉ के मार्कट में विक्रय ही नही कर पायगा। आवेदक द्वारा उक्त कार्यवाही गलत तरीके से की गई है, साथ ही वकील अभियुक्त ने आवेदक द्वारा की गई कार्यवाही ड्राप फरमाने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन करने व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न अभियुक्त स्वयं का प्रार्थना पत्र दिनांक 12/11/2020 जिसके अनुसार अभियुक्त ने नमुना जांच कर शेष मावा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र लिखा है। जिससे प्रतीत होता है कि उक्त मावा अभियुक्त स्वय का था तथा पत्रावली मे संलग्न मुख्य खाद्य विषलेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/2099/एक्ट/2020/ 1996 दिनांक 26.11.2020 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने अवमानक प्रकृति के खाद्य पदार्थ का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है। यदि आवेदक उक्त जांच रिपोर्ट से सन्तुष्ट नहीं था तो निर्धारित समयावधि में रेफरल प्रयोगशाला में पुनः जांच हेतु आवेदन कर सकता था,जिससे आवेदक द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्त को 20,000 (बीस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक 04/07/2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी